

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जुलाई 2011—आषाढ़ 21, शक 1933

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्र. एफ-6-16-2011-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों को प्रधान मजिस्ट्रेटों के रूप में पदांकित करती है, अर्थात्:—

#### अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिलों के नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (4)
1	सिंगरौली	सिंगरौली	श्री सुधीर सिंह चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
2	अलीराजपुर	अलीराजपुर	श्री एन.एस. लावारिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
3	रीवा	रीवा	श्री धीरेन्द्र सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
4	बालाघाट	बालाघाट	श्री राजदीप सिंह ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग
5	श्योपुर	श्योपुर	श्री संजीव जैन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
6	अशोकनगर	अशोकनगर	श्रीमती ज्योति विनोदिया वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
7	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	श्रीमती फिलिपा सोनजे पीटर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
8	देवास	देवास	श्रीमती विधि सक्सेना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
9	सागर	सागर	श्री सुनील कुमार जैन (जू.), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
10	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
11	छतरपुर	छतरपुर	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

No. F-6-16-2011-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2000 (No. 56 of 2000), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in coloumn (4) as Principal Magistrates in the following Juvenile Justice Boards as specified in the coloumn (2) of the Schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

## SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)	Name of the Districts (3)	Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
1	Singrauli	Singrauli	Shri Sudhir Singh Chouhan, Chief Judicial Magistrate
2	Alirazpur	Alirazpur	Shri N.S. Lawariya, Chief Judicial Magistrate
3	Rewa	Rewa	Shri Dharendra Singh, Chief Judicial Magistrate
4	Balaghat	Balaghat	Shri Raj Deep Singh, Thakur, Judicial Magistrate, First Class
5	Sheopur	Sheopur	Shri Sanjeev Jain, Chief Judicial Magistrate
6	Ashoknagar	Ashoknagar	Smt. Jyoti Vinodia Verma, Chief Judicial Magistrate
7	Chindwara	Chindwara	Smt. Philpa Sonjay Peter, Chief Judicial Magistrate
8	Dewas	Dewas	Smt. Vidhi Saxena, Chief Judicial Magistrate
9	Sagar	Sager	Shri Sunil Kumar Jain (Jr.), Chief Judicial Magistrate
10	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri Sanjeev Kumar Agarwal, Chief Judicial Magistrate
11	Chhatarpur	Chhatarpur	Shri Devendra Prasad Mishra, Chief Judicial Magistrate

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मधुकर अग्नेय, उपसचिव.